



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]  
No. 49]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1999/ज्येष्ठ 12, 1921  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 1999/JYAISTHA 12, 1921

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1999

दूरसंचार टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 1999

फा. सं. 301-4/99-टी.आर.ए.आई.(इकॉन.)—यह सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :

## भाग 1

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :

- (i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 1999" (टेलिकम्यूनिकेशन टैरिफ (सेकंड अर्मेंडमेंट) आर्डर 1999) के नाम से जाना जाएगा।
- (ii) यह आदेश 1 अप्रैल 1999 से लागू हुआ माना जाएगा।

## भाग 2

अनुसूचियों का संशोधन

दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूचियों में आंशिक संशोधन करते हुए, आदेश में उल्लिखित के स्थान पर निम्नलिखित परिवर्धन/परिवर्तन किए जाते हैं:-

**अनुसूची 1****बनियादी सेवाएं (आई एस डी एन के अलावा)**

(इन टैरिफों के लागू होने की तारीख 1 मई, 1999 होगी)

मद	टैरिफ
<b>(13) व्यस्ततम अवधि टैरिफ</b>	
<b>(13ए) मैनअल ट्रंक कालों के लिए</b>	
<b>(13.ए.ि) उन स्थानों से उन स्थानों तक जहाँ एस टी डी सुविधा है</b>	(i) प्रति काल 5 रु० तथा (ii) उपभोक्ता ट्रंक डायल्ड घरेलू दीर्घ दूरी कॉलों का टैरिफ रु.1.20पै. प्रति मीटरित काल की दर से <b>बशर्ते कि</b> इस योजना के तहत न्यूनतम टैरिफ वह राशि हो सकती है जो एक मिनट की उपभोक्ता ट्रंक डायल्ड घरेलू दीर्घ दूरी काल पर होती है। उपर्युक्त टैरिफ अधिकतम (सीलिंग) होंगे।
<b>(13.ए.ii) उन स्थानों से उन स्थानों तक जहां एस टी डी सुविधा नहीं है।</b>	टैरिफ रु.५२ (13.ए.ि) के बराबर होंगे, यह मानकर चलते हुए जैसे कि इन स्थानों पर एस टी डी सुविधाएं हैं।

**अनुसूची IV****लीज्ड सर्किट**

(निम्नलिखित के रूप में खंड (3.एफ) जोड़ें)

मद	टैरिफ
<b>(3) गति के लीज्ड सर्किटों के लिए रेडी रेकनर टैरिफ</b>	
<b>(3. एफ) प्रभार्य दूरी</b>	रेडियल दूरी को, अधिकतम 1.25 कारक से गुणा करके, रेडियल दूरी को प्रभार्य दूरी में बदला जा सकता है।

## अनुसूची IV के अनुलग्नक 1 का शीर्षक निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए

64 के बी पी एस लीज्ड सर्किटों के लिए, प्रतिवर्ष का रेडी रेकनर सिलिंग याने अधिकतम टैरिफ  
न कि

140 एम बी पी एस प्रणाली पर आधारित 64 के बी पी एस लीज्ड सर्किटों के लिए रेडी रेकनर सिलिंग टैरिफ  
रेडी रेकनर तालिका में निम्नलिखित टाइपिंग संशोधन कर दिए जाएं :

आदेश में यथा उल्लिखित		संशोधित टैरिफ	
दूरी (किलोमीटर)	सायों में टैरिफ	दूरी (किलोमीटर)	रुपयों में टैरिफ
350	61,475	350	75,061
275 (370 व 380 दूरी स्लेवों के बीच स्थापित)	78,457	375	78,457

## अनुसूची IV के अनुलग्नक 2 की शीर्षक निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए

2 एम बी पी एस लीज्ड सर्किटों के लिए, प्रतिवर्ष का रेडी रेकनर सिलिंग टैरिफ  
न कि

140 एम बी पी एस प्रणाली पर आधारित 2 एम बी पी एस लीज्ड सर्किटों के लिए रेडी रेकनर सिलिंग टैरिफ  
रेडी रेकनर तालिका में निम्नलिखित टाइपिंग संशोधन कर दिए जाएं :

आदेश में यथा उल्लिखित		संशोधित टैरिफ	
दूरी (किलोमीटर)	सायों में टैरिफ	दूरी (किलोमीटर)	सायों में टैरिफ
350	1,163,319	350	1,570,895
275 (370 व 380 दूरी स्लेवों के बीच स्थापित)	1,672,790	375	1,672,790

## अनुसूची VII

अनुसूची VI का शीर्षक निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

**मूल्य वर्धित सेवाएं (वैल्यू एडेड सर्विसेज)**

**के स्थान पर**

मूल्य वर्धित सेवाएं और अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं ऐसी अन्य सेवाएं

भाग III

व्याख्यात्मक ज्ञापन (दूसरे संशोधन का)

3. इस आदेश में एक अनुलग्नक "क" है जो व्याख्यात्मक ज्ञापन है और जो दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में इस संशोधन के कारण बताता है।

आदेशानुसार,  
हरष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

## अनुलग्नक "क"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

**के स्थान पर**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने, 9 मार्च 1999 को विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए, दूरसंचार टैरिफ अधिसूचित किए और ये 15 मार्च 1999 के, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. अनुसूची 1 की मद (13.ए.ि) के अंतर्गत संशोधन, प्रति मीटर्ड काल पर एक से अधिक प्रभार लागू करने में हाने वाली कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण जरूरी हुआ। मद (13.ए.ii) में परिवर्तन, टैरिफों के कवरेज को स्पष्ट करने के लिए है। अनुसूची iv की मद (3.एफ) में जो कुछ जोड़ा गया है वह रेडियल (या II त्रैज्य) दूरी और प्रभार्य दूरी के बीच की कड़ी से संबंधित पूछताछों के स्पष्टीकरण के रूप में है। अनुसूची iv के अनुलग्नक 1 व 2 में संशोधन, तालिकाओं में दो मुद्रण अशुद्धियों के सिलसिले में हैं और शीर्षक में परिवर्तन यह स्पष्ट करने के लिए है कि लीज्ड सर्किट टैरिफ व्यापक तौर पर लागू होंगे। अनुसूची vii के शीर्षक को यह स्पष्ट करने के लिए बदला गया है कि इस अनुसूची में सारी दूर-संचार सेवाएं आ जाएं।

3. इस अधिसूचना में शामिल निदेशों के शीघ्र कार्यान्वयन की दृष्टि से, इस प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं को, और सेवा प्रदाताओं के संगठनों को सूचनार्थ पत्र भी भेज दिए हैं।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 1999

**The Telecommunication Tariff (Second Amendment) Order, 1999**

F. No. 301-4/99-TRAI(Econ.).—These are published for general information :

**SECTION 1****Title, Extent and Commencement**

1. Short title, extent and commencement :

- (i) This Order shall be called “Telecommunication Tariff (Second Amendment) Order 1999”
- (ii) This Order shall be deemed to have come into force with effect from April 1, 1999.

**SECTION II****Amendment of Schedules**

In partial modification of schedules to the Telecommunication Tariff Order 1999, the following additions/alterations are made in place of those mentioned in the said Order :-

**Schedule I****Basic Services (other than ISDN)**

(The date of implementation for these tariffs shall be May 1, 1999)

Item	Tariff
<b><u>(13) Peak hour Tariff</u></b>	
<b><u>(13.a) For manual trunk calls</u></b>	
(13.a.i) From and to places with STD facilities	(i) Rs. 5 per call  <u>Plus</u>
	(ii) Tariff for subscriber trunk dialed domestic long distance calls @ Rs.1.20 per metered call,

(13.a ii) From/to places without STD facilities	<p><u>Provided that,</u></p> <p>the minimum tariff under this plan may be the amount applicable to a one minute subscriber trunk dialed domestic long distance call.</p> <p>The above tariffs are ceilings.</p> <p>Tariffs shall be the same as in (13.a.i.) above, assuming as if these places have STD facilities.</p>
---	--

**Schedule IV  
Leased Circuits**

(add Clause (3.f) as follows)

Item	Tariff
<b><u>(3) Ready Reckoner Tariff for leased circuits of speed:</u></b>	
<b><u>(3.f) Chargeable distance</u></b>	The radial distance may be converted into chargeable distance by multiplying the radial distance by a factor not exceeding 1.25.

The title to Annex I to Schedule IV should be read as:  
**READY-RECKONER CEILING TARIFF PER ANNUM FOR 64 Kbps  
LEASED CIRCUITS**

*Instead of*

**READY-RECKONER CEILING TARIFF FOR 64 Kbps LEASED CIRCUITS  
BASED ON 140 Mbps SYSTEM**

The following typing corrections be carried out in the ready-reckoner table:

As mentioned in the order		Corrected Tariffs	
Distance (Kms.)	Tariff in Rupees	Distance (Kms.)	Tariff in Rupees
350	61,475	350	75,061
275 (placed between distance slabs 370 and 380 Kms.)	78,457	375	78,457

The title to Annex 2 to Schedule IV should be read as :  
**READY-RECKONER CEILING TARIFF PER ANNUM FOR 2 Mbps  
 LEASED CIRCUITS**

*Instead of*

**READY-RECKONER CEILING TARIFF FOR 2 Mbps LEASED CIRCUITS  
 BASED ON 140 Mbps SYTSTEM**

The following typing corrections be carried out in the ready-reckoner table :

As mentioned in the order		Corrected Tariffs.	
Distance (Kms.)	Tariff in Rupees	Distance (Kms.)	Tariff in Rupees
350	1,163,319	350	1,570,895
275 (placed between distance slabs 370 and 380 Kms.	1,672,790	375	1,672,790

**Schedule VII**

The title to Schedule VII should be read as:  
**Value Added Services and Other Services Not Elsewhere Specified**

Instead of

**Value Added Services**

**SECTION III**

**Explanatory Memorandum to the 2<sup>nd</sup> Amendment**

3. This Order contains at Annex 'A', an Explanatory Memorandum which explains the reasons for this amendment of the Telecommunication Tariff Order 1999.

By Order.

HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Adviser

## Annex 'A'

**Explanatory Memorandum**

The Telecom Regulatory Authority of India notified the telecommunication tariffs for various telecom. services on March 9, 1999 and these were published in the Gazette of India on March 15, 1999.

2. The amendment under item (13.a.i.) of Schedule I is necessitated due to certain technical difficulties in implementing more than one charge per metered call. The change under item (13.a.ii) is to clarify the coverage of the tariffs. The addition of item (3.f) under Schedule IV is a clarification in response to queries about the link between radial distance and chargeable distance. The corrections to Annexes 1 and 2 to Schedule IV address two misprints in the tables, and the change in the title is to clarify that the leased circuits tariffs have general application. The title of Schedule VII has been altered for clarifying that the schedule covers all telecommunication services.

3 To expedite the implementation of these directives in this notification, the Authority has already sent letters to Service Providers and Service Providers' Associations, informing them of these amendments.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1999

सं. 301-4/99-टी.आर.ए.आई.(इकोन.)— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि, भारत और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं जिम टैरिफों पर उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा, अधिसूचित किया जाएगा; भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है।

**दूरसंचार टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 1999**

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :

(i) यह आदेश दूरसंचार टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 1999 (द टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ थर्ड अमेंडमेंट) आईर 1999

के नाम से जाना जाएगा।

(ii) यह आदेश 1 मई 1999 से लागू हुआ माना जाएगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची 1 (आई एस डी एन के अतिरिक्त बुनियादी सेवाएं) में :

(i) विद्यमान खंड (जी) को मिटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए:



(जी) वैकल्पिक टैरिफ पैकेज	<p>मानक टैरिफ पैकेज में उपलब्ध के अलावा, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को वैकल्पिक टैरिफ और निःशुल्क काल छूट देना।</p> <p>वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों में, लिए जाने वाले टैरिफ पर कोई प्रतिबंध नहीं है अलावा इसके कि किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत समस्त टैरिफ पैकेजों में, उस सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत मानक टैरिफ पैकेज के समान ही, प्रतिभूति जमा (एस टी डी/आई एस डी के अलावा) संस्थापना और पंजीकरण के निमित्त, प्रभार लिए जाएंगे।</p>
---------------------------	--

(i) एक नया खंड (0) जोड़ा जाएगा जो निम्नलिखित होगा:

(0) जमाराशियों की वापसी	<p>सभी प्रकार की जमा राशियां (एस टी डी/आई एस डी जमाराशियों सहित), डिसकनेक्शन के समय उपभोक्ता को वापस करनी होंगी। तथापि, उपभोक्ता के बकाया बिलों का समायोजन अंतिम हिसाब के समय इनसे किया जा सकता है।</p>
-------------------------	---

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची 2 ( सेलूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा ) में :

(i) विद्यमान खंड (बी) को मिटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए:

(बी) वैकल्पिक टैरिफ पैकेज	<p>मानक टैरिफ पैकेज में उपलब्ध के अलावा, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को प्रस्तुत वैकल्पिक टैरिफ।</p> <p>वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों में, लिए जाने वाले टैरिफ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अलावा इसके कि किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सभी टैरिफ पैकेजों में, उस सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत मानक टैरिफ पैकेज के समान ही प्रतिभूति जमा (एस टी डी/आईएसडी के अलावा) और संस्थापना के निमित्त, प्रभार लिए जाएंगे।</p>
---------------------------	--

(ii) एक नया खंड (डी) जोड़ा जाएगा जो निम्नलिखित होगा:

(डी) जमाराशियों की वापसी	<p>सभी प्रकार की जमाराशियां (एस टी डी/आई एस डी जमाराशियों सहित), डिसकनेक्शन के समय उपभोक्ता को वापस करनी होंगी। तथापि, उपभोक्ता के बकाया बिलों का समायोजन अंतिम हिसाब के समय इनसे किया जा सकता है।</p>
--------------------------	--

4. इस आदेश में अनुलग्नक "क" में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में इस संशोधन के कारण बताता है।

### अनुलग्नक "क"

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ अधिसूचनाओं और उनके द्वारा पूछताछ से यह आवश्यक लग रहा है कि कुछ मामलों में दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में संशोधन और स्पष्टीकरण किए जाएं ताकि उपभोक्ताओं की सहायता हो और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े।
2. ये स्पष्टीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, सेलूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं की उन पूछताछों से जुड़े हैं जो टैरिफ आदेश 1999 में विनिर्दिष्ट से अतिरिक्त, एक बार के प्रभारों से, और मानक टैरिफ पैकेज के निमित्त विनिर्दिष्ट किरायों और एयरटाइम प्रभारों के साथ साथ, बैतार योजना और समन्वय (डब्ल्यू.पी.सी.) के प्रभारों के लिए जाने की संभावना से संबंधित हैं।
3. टैरिफ आदेश 1999 के अनुसार, मानक टैरिफ पैकेज में बताया गए, एक बार शुरू के प्रभार के अलावा, सेवा प्रदाता कोई और प्रभार नहीं लगा सकते। इस बात को प्राधिकरण के 26 अप्रैल 1999 के पत्र द्वारा सेलूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को सूचित भी कर दिया गया है। इस पत्र में यह बात भी शामिल है कि - "सेलूलर मोबाइल के निमित्त अनुसूची-2 में, पंजीकरण राशि या प्रभार (या "सिम" कार्ड प्रभार की तरह कोई भी एक बार के प्रभार) की व्यवस्था नहीं है, पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ता को सुविधा उपलब्ध कराने, उसे सक्रिय करने या इस तरह के किसी भी काम से संबंधित सभी लागतें, मानक टैरिफ पैकेज निकालते समय ही, लागत-आधार में शामिल की जा चुकी हैं। अतः पत्र में यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं से (डब्ल्यू.पी.सी.) से संबंधित कोई भी अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।"
4. दूसरे परामर्शपत्र पर उन्मुक्त विचार-विमर्श के दौरान, कई (सी.एम.टी.एस.) प्रचालकों की राय थी कि मूल्य-निर्धारण में लचीलेपन का अधिकार उन्हें होना चाहिए। इस सिद्धांत से प्राधिकरण सहमत हुआ और तदनुसार वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों (ए.टी.पी.) के जरिये, टैरिफ आदेश में लचीलेपन का प्रावधान है। तथापि, प्राधिकरण ने यह व्यवस्था एयरटाइम और किराए के प्रभारों के हेतु रखी न कि एक बार के प्रभारों (जैसे सदस्यता शुल्क और नामांकन शुल्क) के बारे में, अतः सेलूलर सेवा में "प्रवेश लागत", प्रतिभूति जमा और संस्थापना प्रभार तक ही सीमित थी और इसे अनुसूची-2 में, "अधिकतम" या सीलिंग के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया था। कोई अन्य "एक बार की लागत" परिकल्पित नहीं थी।
5. प्राधिकरण को भेजी टैरिफ अधिसूचनाओं में कुछ (सी.एम.टी.एस.) प्रचालकों ने वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों (ए.टी.पी.) में, प्रतिभूति जमा और संस्थापना प्रभार के साथ-साथ, (सदस्यता शुल्क और नामांकन शुल्क जैसे) कुछ एक बार के प्रभार शामिल किए हैं। चूंकि ऐसा कोई एक बार का प्रभार प्रत्यक्ष ही देना होता है उससे उपभोक्ता के लिए प्रवेश की लागत बढ़ जाती है।
6. प्राधिकरण ने (सी.एम.टी.एस.) प्रचालकों द्वारा भेजी गई टैरिफ अधिसूचनाओं का विश्लेषण किया है। यद्यपि कुछ (ए.टी.पी.) में प्रवेश लागत अधिक हैं ज्यादातर मामलों में ऐसा लगता है कि इन (ए.टी.पी.) में, अतिरिक्त एक बार के प्रभार से कुछ विशेष वर्ग के उपभोक्ताओं को फायदा होता है क्योंकि उनके मासिक किराये या एयरटाइम या दोनों ही कम हो जाते हैं। इस लचीलेपन से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और तब उपभोक्ता को कुछ और लाभ भी हो सकते हैं। इस बात को देखकर, प्राधिकरण ने इस अतिरिक्त लचीलेपन की अनुमति देते हुए, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन का निर्णय लिया है।

7. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में, यह व्यवस्था थी कि मानक पैकेज में विद्यमान अधिकतम राशि या सीलिंग, वैकल्पिक टैरिफ पैकेज (ए.टी.पी.) में भी रहेगी। प्राधिकरण ने अब यह निर्णय लिया है कि ए.टी.पी. में, प्रभार्य टैरिफ पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इससे ए.टी.पी. में उपभोक्ता की प्रवेश लागत, मानक टैरिफ पैकेज में उसकी प्रवेश-लागत से भिन्न हो सकती है। एक (सी.एम.टी.एस.) प्रचालक द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग पैकेजों में गतिशीलता लाने की दृष्टि से, प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि समस्त वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों (ए.टी.पी.) के लिए प्रतिभूति जमा और संस्थापना प्रभार, मानक टैरिफ पैकेज के बराबर ही होंगे।
8. दृष्टांत स्वरूप, निम्नलिखित काल्पनिक उदाहरण लें

## सारणी - 1

## (समस्त राशियां रूप्यों में)

टैरिफ योजना	मानक पैकेज	वैकल्पिक टैरिफ पैकेज 1	वैकल्पिक टैरिफ पैकेज 2
संस्थापना शुल्क	1,200	1,200	1,200
प्रतिभूति जमा	3,000	3,000	3,000
सदस्यता शुल्क (एक बार)	शून्य	5,000	1,000

## सारणी - 2

## (समस्त राशियां रूप्यों में)

टैरिफ योजना	मानक पैकेज	वैकल्पिक टैरिफ पैकेज 1	वैकल्पिक टैरिफ पैकेज 2
संस्थापना शुल्क	1,000	1,000	1,000
प्रतिभूति जमा	2,000	2,000	2,000
सदस्यता शुल्क (एक बार)	शून्य	4,000	1,500

मान लीजिए, उपभोक्ता मानक टैरिफ पैकेज पर नेटवर्क में आया था और अब ए.टी.पी.-1 में, सारणी-1 की कीमतों पर, जाना चाहता है। इस मामले में, उपभोक्ता इस विशेष पैकेज के निमित्त, एक बार की प्रवेश लागत के लिए, अतिरिक्त 5,000 रुपए देगा। दूसरी तरफ यदि उपभोक्ता मानक पैकेज से ए.टी.पी.-2 में जाना चाहेगा तो इस पैकेज की एक बार की सदस्यता शुल्क के रूप में उसे अतिरिक्त 1,000 रुपए देने होंगे।

9. अब दूसरी ओर, सारणी-2 में दर्शित कीमतों को देखें। अगर सी.एम.टी.एस. प्रचालक ने मानक पैकेज के निमित्त संस्थापना प्रभार और प्रतिभूति जमा, सारणी-2 में क्रमशः अधिकतम या सीलिंग से कम रखी है तो ये राशियां वैकल्पिक पैकेजों में अद्येनीत या "कैरी ओवर" हो जाएंगी जैसा सारणी में दर्शाया गया है। इन उदाहरणों को सामने रखने का मंतव्य यह स्पष्ट करना है कि जब भी उपभोक्ता, एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाना चाहे तो संस्थापना प्रभार और प्रतिभूति जमा, दुबारा न पड़ जाएं।

10. सी.एम.टी.एस. प्रचालकों की कुछ टैरिफ योजनाओं में, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिभूति जमा तथा अन्य जमा राशियां सारी की सारी वापस होंगी या नहीं। प्राधिकरण का साफ विचार है कि जब भी उपभोक्ता नेटवर्क छोड़ता है तो उसकी सारी जमाराशियां वापस हों। इस बारे में प्राधिकरण का निदेश है कि "डिसकनेक्शन" के समय सारी जमाराशियां उपभोक्ता को पूरी की पूरी वापस की जाएं।" तथापि, "डिसकनेक्शन" के समय यदि उपभोक्ता के ऊपर सेवा प्रदाता की कोई बकाया राशि बनती है तो आखिरी हिसाब लगाते समय उस राशि का समायोजन कर दिया जाए।
11. वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों के बारे में दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि, इन पैकेजों के तहत, बेतार योजना और समन्वय प्रभार (डब्ल्यू.पी.सी. प्रभार) जैसा कोई टैरिफ न लगाया जाए। यह प्रतिबंध, मानक टैरिफ पैकेज पर लागू प्रतिबंध की तरह है।
12. टैरिफ आदेश में, बुनियादी सेवाओं के लिए भी वैकल्पिक पैकेजों को देने पर, लघीलपन को मान्यता दी गई थी। इन दोनों प्रकार की सेवाओं के लिए विनियामक ढाँचा एक समान ही सोचा गया है। इसलिए, सेलूलर के निमित्त वैकल्पिक पैकेजों के विनियामक ढाँचे में जो भी परिवर्तन होंगे वे अनुसूची-1 पर भी याने (आई.एस.डी.एन छोड़कर) बुनियादी सेवाओं पर भी लागू होंगे। (आई.एस.डी.एन. छोड़कर) बुनियादी सेवाओं के निमित्त संशोधित अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन शामिल कर दिए गए हैं।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1999

No. 301-4/99-TRAI(Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

### THE TELECOMMUNICATION TARIFF (Third Amendment) ORDER 1999

1. Short title, extent and commencement:
- (i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Third Amendment) Order 1999."
- (ii) The Order shall be deemed to have come into force from May 1, 1999.
2. In Schedule I (Basic Services Other than ISDN) of the Telecommunication Tariff Order 1999 :
- (i) The existing clause (g) shall be deleted and substituted to read as under:

(g) Alternative tariff packages	<p>Alternative tariff and free call allowance offered to subscribers by service providers, in addition to those provided for in the Standard Tariff Package.</p> <p>In the Alternative Tariff Packages, there is no restriction on any tariff to be charged, except that all tariff packages offered by any service provider shall have the <u>same</u> charge for security deposit (other than for STD/ISD), installation and registration as in the Standard Tariff Package offered by that service provider.</p>
---------------------------------	---

(ii) A new clause (o) shall be added to read:

<b>(o) Refund of Deposits</b>	All deposits (including, <i>inter-alia</i> , STD/ISD deposits) must be refunded in full to the subscriber at the time of disconnection subject to the condition that outstanding subscriber bills, if any, may be adjusted in the final transaction.
-------------------------------	--

3. In Schedule II (Cellular Mobile Telecom Service) of the Telecommunication Tariff Order 1999 :

(i) The existing clause (b) shall be deleted and substituted to read as under:

<b>(b) Alternative tariff packages</b>	<p>Alternative tariff offered to subscribers by service providers, in addition to those provided for in the Standard Tariff Package.</p> <p>In the Alternative Tariff Packages, there is no restriction on any tariff to be charged, except that all tariff packages offered by any service provider shall have the same charge for security deposit (other than for STD/ISD) and installation as in the Standard Tariff Package offered by that service provider.</p>
--	--

(ii) A new clause (d) shall be added to read:

<b>(d) Refund of Deposits</b>	All deposits (including, <i>inter-alia</i> , STD/ISD deposits) must be refunded in full to the subscriber at the time of disconnection subject to the condition that outstanding subscriber bills, if any, may be adjusted in the final transaction
-------------------------------	---

4. This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum that explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order 1999.

By Order,

HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Adviser

**ANNEX A**  
**EXPLANATORY MEMORANDUM**

1. The tariff notifications from the service providers and the various queries raised by them suggest a need to clarify and amend the Telecommunication Tariff Order 1999 in certain respects with a view to helping customers and promoting competition in the market.
2. The clarifications pertain, *inter-alia*, to certain queries from cellular mobile service providers relating to one-time charges other than those specified in the Tariff Order 1999 and the possibility of charging Wireless Planning and Co-ordination (WPC) charges in addition to the rentals and airtime charges specified for the Standard Tariff Package.
3. The Tariff Order 1999, bars service providers from charging any other initial one-time charge other than that specified in the Standard Tariff Package. This has also been communicated to the cellular mobile service providers through a letter of the Authority, dated April 26<sup>th</sup>, 1999. This letter states, *inter alia*, that: "no provision has been made for a registration charge (or any similar one-time charge, such as SIM card charge) in Schedule II for Cellular Mobile". The letter further points out that all costs relating to activation and customer acquisition and the like had been included in the cost base while deriving the Standard Tariff Package. The letter therefore, also stated that: "The Authority has decided that no additional charges towards WPC are to be recovered from the subscribers."
4. During the open house discussions on the Second Consultation Paper, several CMTS Operators were of the opinion that flexibility in pricing should be available to them. The Authority agreed with this principle and has accordingly provided for flexibility in the Tariff Order through Alternative Tariff Packages (ATP). The flexibility that the Authority had in mind however, was with respect to airtime and rental charges and not with regard to one time charges (such as membership fee and enrolment fee). The 'entry costs' to the cellular service were therefore limited to security deposit and installation charge and were specified as ceilings in Schedule II. No other one-time cost was envisaged.
5. In their tariff notifications to the Authority, a number of CMTS Operators have included in the ATPs, a one-time charge (such as membership fee and enrolment fee) in addition to the security deposit and installation charge. Since any one-time charge has to be paid up-front, this increases the cost of entry for a subscriber.
6. The Authority has analysed the tariff notifications submitted by CMTS Operators. Although entry costs are higher for certain ATPs, in a majority of the cases it appears the additional one-time charge in these ATPs provides advantage to certain class of subscribers in terms of reduced charges for monthly rental or airtime or both. It further allows for the possibility of additional consumer benefit through the competition that this flexibility is likely to create. In view of the

matter, the Authority has decided to amend Telecommunication Tariff Order, 1999, to allow for this additional flexibility.

7. The Telecommunication Tariff Order, 1999, stipulated that the prevailing ceilings in the standard package shall be carried over to the ATPs. The Authority has now decided that in the ATPs, there shall be no restriction on tariffs to be charged. This permits the cost of entry for the subscriber to ATPs to be different from the cost of entry to the Standard Tariff Package. In order to facilitate mobility between packages offered by the same CMTS Operator, the Authority has also decided that the security deposit and installation charge for all ATPs shall be the same as for the Standard Tariff Package.
8. As an illustration, consider the following hypothetical examples.

Table I (All amounts in rupees)

Tariff Plan	Standard Package	Alternative Tariff Package I	Alternative Tariff Package II
Installation fee	1,200	1,200	1,200
Security Deposit	3,000	3,000	3,000
Membership fee (one-time)	NIL	5,000	1,000

Table II (All amounts in rupees)

Tariff Plan	Standard Package	Alternative Tariff Package I	Alternative Tariff Package II
Installation fee	1,000	1,000	1,000
Security Deposit	2,000	2,000	2,000
Membership fee (one-time)	NIL	4,000	1,500

Presuming the subscriber had entered the network on the Standard Tariff Package and now wishes to changeover to ATP I at the prices shown in Table I above. In this case, the subscriber shall pay an additional Rs. 5,000 as the one-time entry cost for this particular package. On the other hand, if the subscriber wishes to changeover from the Standard Package to ATP II, then the subscriber shall pay an additional Rs. 1,000 towards the one-time membership fee for this package.

9. Alternatively, consider the prices shown in Table II above. If the CMTS Operator has fixed the installation charge and security deposit for the standard package below their respective ceilings as shown in Table II, then these amounts shall carry over to the alternative packages as illustrated in the Table. **The idea of these examples is also to make clear that installation and security deposit shall not be duplicated when the subscriber changes over from one package to another.**

10. In certain tariff plans notified by CMTS Operators, it is not clear whether the entire security deposit and other deposits will be refunded. The view of the Authority is clearly that all deposits must be refunded when the subscriber leaves a network. The Authority's directive in this regard is that **all deposits must be refunded to the subscriber in full at the time of disconnection.** To the extent, the customer has an outstanding amount due to the service provider at the time of disconnection, this amount may be adjusted in the final transaction.
11. Another clarification with regard to Alternative Tariff Packages is that no tariff classified as Wireless Planning and Co-ordination charge (or "WPC charge") should be levied under these packages. This restriction is, therefore, similar to that applicable to the Standard Tariff Package.
12. **In the Tariff Order, flexibility to provide alternative packages was also given for Basic Services. The regulatory framework envisaged was common across both these services. As a result the changes in the regulatory framework for alternative packages for cellular shall apply to Schedule I as well, i.e. to Basic Services (other than ISDN). The necessary changes have been incorporated in the revised Schedule for Basic Services (other than ISDN).**